विधानसभा आम चुनाव 2018

प्रारूप 21 ग (नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

181 – शाहपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल

4 A अम्बावगढ़ रोड़, नई पुलिया के पास जाटवाडी उदयपुर (राज.)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये । उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान :राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्याालय, भीलवाड़ा

दिनांक : 11 दिसम्बर, 2018

(चेतन कुमार त्रिपाठी) रिटर्निंग ऑफिसर 181, शाहपुरा (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्टेट)

शाहपुरा (शीलवाड़ा) राज

ASSEMBLY GENERAL ELECTION 2018 FORM-21C

(For use in General Election when seat is contested)
(See rule 64)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 Election to the Legislative Assembly of S-23 Rajasthan State from the 181-SHAHPURA Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

I declare that -

SHRI KAILASH CHANDRA MEGHWAL

4A AMBAVGARH ROAD, NEAR NAI PULIYA JATWADI UDAIPUR (RAJ.)

Sponsored by - Bharatiya Janata Party
(Name of the recognised/registered political party)
has been duly elected to fill the seat in that House from the above
constituency.

Place: Govt. polytechnic College, Bhilwara

Date: 11-12-2018

(CHETAN KUMAR TRIPHATI)
Returning Officer
181-Shahpura Assembly Consituency
(SDO & SDM.), Shahpura